''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.''

पंजीयन क्रमांक
''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 263] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जून 2014— ज्येष्ठ 29, शक 1936

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 जून 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-13/आठ-परि./2001. — भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा एस. एल. पी. (सी.) क्रमांक 25237/2010 अभय सिंह विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य तथा एस. एल. पी. (सी.) क्रमांक 23984 /2010 अभय सिंह विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10-12-2013 के अनुपालन में, राज्य सरकार, केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के नियम-108 सहपठित भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक का. आ. 52(अ) नई दिल्ली दिनांक 11 जनवरी, 2002 के खण्ड-(ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेश/अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि यान, जो निम्नलिखित अतिगणमान्य व्यक्तियों एवं पदाधिकारियों को ले जा रहा हो, में क्रमश: फ्लैशर सहित/फ्लैशर रहित लालबत्ती, नीलीबत्ती और बहुरंगी लाल, नीली एवं सफेद बत्ती के प्रयोग करने की अनुज्ञा होगी,
अर्थात् :-

(क) **यान के शीर्ष अग्रभाग पर फ्लैशर सहित लाल बत्ती -**

(1) राज्यपाल,
(2) मुख्यमंत्री,
(3) मुख्य न्यायाधिपति,
(4) अध्यक्ष, राज्य विधानसभा,
(5) मंत्री,
(6) उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण,
(7) नेता प्रतिपक्ष,
(8) भूतपूर्व मुख्यमंत्री,
(9) प्रमुख लोकायुक्त,
(10) अध्यक्ष, राज्य मानव अधिकार आयोग,
(11) उपाध्यक्ष, राज्य योजना आयोग.

(ख) यान के शीर्ष अग्रभाग पर फ्लैशर रहित लाल बत्ती -

(1) आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग,
(2) महाधिवक्ता,
(3) मुख्य सचिव,
(4) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग.

(ग) यान के शीर्ष अग्रभाग पर नीली बत्ती -

(1) मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग,
(2) अपर मुख्य सचिव,
(3) प्रमुख सचिव,
(4) परिवहन आयुक्त,
(5) पुलिस महानिदेशक,
(6) महानिदेशक, जेल/नगर सेना,
(7) संभागायुक्त,
(8) रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़,
(9) अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक,
(10) जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
(11) जिला दण्डाधिकारी/अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
(12) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी,
(13) पुलिस महानिरीक्षक (रेंज),
(14) अतिरिक्त परिवहन आयुक्त,
(15) पुलिस उपमहानिरीक्षक (रेंज),
(16) पुलिस अधीक्षक/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
(17) अनुविभागीय दण्डाधिकारी (एस. डी. एम.),
(18) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/नगर पुलिस अधीक्षक,
(19) क्षेत्रीय/अतिरिक्त क्षेत्रीय/जिला परिवहन अधिकारी,
(20) एंबुलेंस,
(21) अग्निशमन यान,
(22) सुरक्षा/मार्गदर्शन/कानून व्यवस्था में संलग्न पुलिस वाहन.

(घ) यान के शीर्ष अग्रभाग पर बहुरंगी लाल, नीली एवं सफेद बत्ती -

(1) यातायात पुलिस के वाहन,
(2) परिवहन उड़नदस्ता एवं परिवहन चेक पोस्ट के वाहन.

टीप :- (1) छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर अतिगणमान्य व्यक्तियों, पदाधिकारियों एवं अधिकारियों की वाहनों में लाल/नीली/बहुरंगी लाल, नीली एवं सफेद बत्ती लगाने के उद्देश्य से जारी अधिसूचना/शासनादेश, तत्काल प्रभाव से समाप्त हो जायेगा.

(2) उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य किसी पदाधिकारी को लाल/नीली/बहुरंगी लाल, नीली एवं सफेद बत्ती युक्त वाहनों के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं होगी.

(3) यदि प्राधिकृत किये गये अधिकारी वाहन में यात्रा नहीं कर रहे हैं तो लाल/नीली/बहुरंगी लाल, नीली एवं सफेद बत्ती को काले रंग के आवरण से ढका जायेगा.

(4) अतिगणमान्य व्यक्तियों के लिए लाल बत्ती के उपयोग हेतु, परिवहन आयुक्त द्वारा स्टीकर जारी किया जायेगा और स्टीकर का विवरण जैसे स्टीकर क्रमांक, वाहन क्रमांक के साथ-साथ अतिगणमान्य व्यक्ति, जिसको स्टीकर जारी किया गया है, के नाम, परिवहन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संधारित किया जायेगा.

No.F 5-13/8-Trans/2001. — In compliance of the order dated 10-12-2013 passed by the Hon'ble Supreme Court of India in SLP(C) No. 25237/2010 Abhay Singh Vs. State of Uttar Pradesh and others and SLP (C) No. 23984/2010 Abhay Singh Vs. Union of India and another, the State Government, exercising the powers conferred by Rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 read with clause (e) of Notification No. S. O. 52 (E), New Delhi, dated 11th January,2002 of Government of India, Ministry of Road, Transport and Highway and in supersession of all previous orders/notifications in this regard, hereby, notifies that vehicles carrying following high dignitaries and officials shall be permitted to use red light with flashers/without flashers, blue light and multicoloured red, blue and white lights respectively, namely :-

(a) Red Light with flasher on the top front of the vehicle -

(1) Governor,
(2) Chief Minister,
(3) Chief Justice,
(4) Chairman, State Legislative Assembly,
(5) Ministers,
(6) Judges of High Court,
(7) Leader of Opposition,
(8) Former Chief Minister,
(9) Principal Lokayukt,
(10) Chairman, State Human Rights Commission,
(11) Vice-chairman, State Planning Commission.

(b) Red Light without flasher on the top front of the vehicle -

(1) Commissioner, State Election Commission,
(2) Advocate General,
(3) Chief Secretary,
(4) Chairman, Chhattisgarh Public Service Commission.

(c) Blue Light on the top front of the vehicle -

(1) Chief Information Commissioner, the Chhattisgarh State Information Commission,
(2) Additional Chief Secretary,
(3) Principal Secretary,
(4) Transport Commissioner,
(5) Director General of Police,
(6) Director General Jail/Home Guard,
(7) Divisional Commissioner,
(8) Registrar General, High Court of Chhattisgarh,
(9) Additional Director General of Police,
(10) District and Session Judge/Additional District and Session Judge,
(11) District Magistrate/Additional District Magistrate,
(12) Chief Judicial Magistrate,
(13) Inspector General of Police (Range),
(14) Additional Transport Commissioner,
(15) Deputy Inspector General of Police (Range),
(16) Superintendent of Police/Additional Superintendent of Police,
(17) Sub-Divisional Magistrate (SDM),
(18) Sub-Divisional Officer (Police)/Superintendent of City Police,
(19) Regional/Additional Regional/District Transport Officer,
(20) Ambulance,
(21) Fire Extinguisher Vehicle,
(22) Police Vehicle engaged in Security/Piloting/Law and Order.

(d) Multicoloured red, blue and white light on the top front of the vehicle -

(1) Traffic Police Vehicles,
(2) Vehicles of Flying Squad Transport and Check Post Transport.

Note :- (1) Notifications/Government Orders issued, from time to time, by Government of Chhattisgarh, Department of Transportation for the purpose of use of red/blue/multicoloured red, blue and white lights on the vehicles of high dignitaries, bearers and officials shall cease to have force with immediate effect.

(2) Any other official, in addition to above officials, does not have permission to use vehicles with red/blue/multicoloured red, blue and white lights.

(3) Red/blue/multicoloured red, blue and white lights shall be covered with black colour if authorized officer is not travelling in the vehicle.

(4) Sticker for the use of red light for high dignitaries shall be issued by the Transport Commissioner and details of stickers such as sticker number, name of the high dignitaries to whom sticker has been issued alongwith vehicle number shall be maintained by the Department of Transport, Government of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.